रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0पी0सिटी– 67/2021–23

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जाननेके लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –43 ● अंक – 15 ● कानपुर 1 से 15 अगस्त 2021 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

मान्यता के लिए सामुदायिक स्तर पर कार्य करना आवश्यक–इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए सामुदायिक स्तर पर कार्य किये जाने की महत्ती अवश्यकता है यह बात डा0 एम0 एच0 इदरीसी चेयरमैन, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मान्यता सम्बन्धित एक बैठक में कही, डा0 इदरीसी ने उपस्थित चिकित्सकों को स्मरण कराया कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रोगियों के इलाज के आँकड़ें वांछित हैं जो किसी एक रोग के न होकर विभिन्न रोगों से सम्बन्धित हों, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति ने प्रथम बैठक से ही अपनी अनेक बैठकों में इस पर चर्चा की।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति के समक्ष कुछेक रोग से सम्बन्धित आँकड़ें दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये, जिसपर भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति ने स्पष्ट किया कि सिर्फ एक मात्र रोग से सम्बन्धित आँकड़ें प्रस्तुत करने पर मान्यता के प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समिति को समाज में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोग निदान से सम्बन्धित विस्तृत आँकड़ें वांछित हैं, इस प्रकार के आँकड़ें तो प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के पश्चात ही प्राप्त किये जा सकते हैं, सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शीर्ष संस्थाओं/संगठनों विशेष रूप से चिकित्सकों के संगठनों तथा निजी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को चाहिये कि वह जिन रोगियों को देखते हैं उनका पूर्ण विवरण एकत्रित करें, यानी हर चिकित्सक द्वारा एक रोगी पंजीका पर हर रोगी के रोग का विवरण (Sign - Symptoms & Treatment) एवं उसके द्वारा प्रदान की गयी औषधि का विवरण अंकित किया जाये कि उन्होंने कितने रोगियों को देखा है और उनमें से कितने लोग ठीक हुए इसका विवरण सुरक्षित रखें एकत्रित आँकड़ों को दावेदारों के साथ साझा करें, ताकि दावेदार भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति के समक्ष समुचित ढंग से अपना पक्ष मज़बूती के साथ प्रस्तुत कर सकें।

किसी भी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिये स्थापित नियमों के अनुसार चिकित्सा पद्धति की प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर कितनी लोकप्रियता एवं उपयोगिता है, मान्यता के लिए यह मायने रखती है समाज में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर अनेकों ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका उचित इलाज कर प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर ही शमन किया जा सकता है, इस प्रकार प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर इलाज कर एक से अधिक रोगों पर सफ़लता प्राप्त की जा सकती है जिससे स्थापित नियमों द्वारा वांछित की पूर्ति की जा सकती है, यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्राप्त करने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया इस दिशा में अग्रसर है तथा उसने अपने तमाम सदस्यों का आवाहन भी किया है कि सम्बद्ध सदस्य अपने स्तर से सामुदायिक स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करें तथा सामुदायिक स्तरीय समितियां गठित कर प्राथमिक स्तर पर भी स्थापित करने का भरपूर प्रयास करें।

प्रायः देखा गया है कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डायगनोसिस भी सही करते हैं, पैथोलॉजिकल रिपोर्टों का भी अध्यन करते हैं एवं रोगी के जटिल से जटिल रोग का इलाज सफ़लतापूर्वक कर देते हैं, परन्तु उनका रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं करते हैं जो कि चिकित्सा जगत में यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े भयानक रोगों का जब–जब किसी चिकित्सक ने इलाज किया उसका उसने विवरण ही नहीं अपितु उसका पता उसकी फोटो

तक अपने पास सुरक्षित रखी है, समय आने पर उसने दावे भी किये मेडिकल जर्नल में अपने लेख भी रोग से संबन्धित प्रकाशित कराये हैं लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब आपके पास पूर्ण रिकॉर्ड मेन्टेन हो, दावे सबूत मांगते हैं मौखिक दावे खोखले माने जाते हैं, इसलिये अब आवश्यकता इस बात की है कि अभी तक जो भी चूक हुयी है उसे हम सुधार करें एवं आज से ही वे सारे रिकॉर्ड अपने पास रखें जो समय पड़ने पर आपके ही नहीं अपितु इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में भी काम आ सके।

आजका युग सोशल मीडिया का युग है सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि अनेक लोग नाना प्रकार के दावे किया करते हैं कि अमुक रोग का उनके पास सफल इलाज है, आप भी इसका उपयोग कर अपने अनुभवों/प्रयोगों तथा सफ़लताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि सोशल मीडिया से जुड़े लोग आपके कार्यों/प्रयोगों तथा सफ़लताओं से अवगत हो सकें।

ध्यान रहे सोशल मीडिया पर केवल पब्लिक की नज़र ही नहीं रहती है, इसपर सरकारी नज़रें भी मॉनीटरिंग गम्भीरता से करती हैं एवं आवश्यकतानुसार इसका परीक्षण व निरीक्षण निरन्तर करती रहती हैं, देशी–विदेशीय गैर सरकारी संगठन जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करती हैं वे समय–समय पर ऐसे समाचारों एवं प्रकाशित सामग्री का मूल्यांकन भी करती हैं, आवश्यकता पड़ने पर सामग्री प्रस्तुतकर्ता से सम्पर्क कर उनके दावों की जाँच–पड़ताल भी करती हैं, यदि आपके दावों से उन्हें सहमति होती है तो देश–विदेश में वे कान्फ्रेन्स में आमंत्रित करती हैं और इसके लिये वे अपने अतिथि के आने जाने रहने खाने आदि का पूर्ण प्रबन्ध भी करती हैं।

सामुदायिक स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसके लिये आवश्यक है कि चिकित्सक अधिकारिता जागरुकता अभियान के राज्य संयोजक, मण्डलीय संयोजक तथा ज़िला संयोजक पहल कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सामुदायिक स्तर पर स्थापित करने के लिये अपना योगदान दें, यदि वे ऐसा करते हैं तो उनकी क्षमता व कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी भी होगी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में उनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा

सामुदायिक स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में प्रदेश के ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है क्योंकि जनपद में चिकित्सा करने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से इनका तो सीधा सम्पर्क रहता है, चिकित्सकों की दैनिक गतिविधियां इनसे छुपी नहीं रह सकती है, इनके दैनिक चिकत्सकीय कार्य को वे भली भांति जानते हैं उदाहरणतः डाक्टर साहब कहां से आते हैं, कितने बजे अपने क्लिनिक पहुंचते हैं, कितने मरीज़ों को डेली देखते हैं, कितने इनके पास सहायक आदि हैं ज़िला प्रभारी अधिकारी को इसकी पूर्ण जानकारी होती है यह अलग बात है कि ज़िला प्रभारी अधिकारी चिकित्सकों द्वारा संकलित किये गये आँकड़ो की मांग नहीं करते हैं परन्तु आँकड़ें उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर सकते हैं, अपने जनपद के चिकित्सकों को व्यक्तिगत एवं समूह (Group) में रोगियों का इलाज करने के लिये अपेक्षा कर सकते हैं जिससे उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली बीमारियों तथा उनके उपचार के बारे में वास्तविक जानकारी एकत्रित हो सके जिससे आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित प्राधिकारियों को समय पर उपलब्ध कराया जा सके उनका यह भी दायित्व है कि उनके क्षेत्राधिकार में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं उनका जनपदीय पंजीयन करें ऐसा करने पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अधिकृत एवं अनाधिकृत चिकित्सकों की भी पहचान हो सकेगी तथा वास्तविक संख्या भी ज्ञात हो सकेगी, जिला स्तरीय चिकित्सकों द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं उनका सही सही मूल्यांकन भी किया जा सकेगा।

ऐसा करने से अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित की पूर्ति सम्भव है।

सफ़लता हेतु धैर्य रखें!

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिलाने का बीड़ा ऐसा लगता है कि हर चिकित्सक ने अपने कंधों पर उठा रखा है इसीलिये जिसका जब जो मन करता है वह कर गुज़रनें में रत्ती भर भी पीछे नहीं रहता है, परिणाम यह होता है कि मान्यता के प्रथम पायदान पर तो वह पहुँच भी नहीं पाता अपितु जहाँ वह खड़ा है वहाँ से भी वह नीचे आने लगता है और कभी–कभी तो उस एक व्यक्ति का किया हुआ कृत्य हज़ारों को नुकसान पहुँचानें में सक्षम हो जाता है, वैसे आज तक का इतिहास साक्षी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो भी नुकसान पहुँचा है वह संस्था विशेष द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा ही पहुँचाया गया है, किसी भी समूह ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को कोई क्षति नहीं पहुँचायी है जो भी क्षति पहुँचती है वह अनावश्यक लिखा–पढ़ी के कारण ही पहुँचती हैं, पहले भी इस प्रकार की अनेकों हानियाँ हो चुकी हैं जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समाज से जुड़ा हर व्यक्ति यह जानता है कि आज देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध है यदि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करते हैं तो कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है बशर्ते हम जिस राज्य में कार्य कर रहे हैं उस राज्य में कार्य करने के लिये प्रचलित नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हों।

जब कार्य करने का अधिकार प्राप्त है तो सम्बन्धित विभाग से अनावश्यक पत्र व्यवहार कर यह जानकारी प्राप्त करना कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अधिकार है ? अब आप स्वयं विचार करें कि जब इस प्रकार के प्रश्न बार–बार किये जायेंगे तो कभी न कभी कोई अधिकारी झुंझलाकर यदि यह उत्तर देदे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है तो सोचिये प्रभाव क्या होगा ? जी हाँ ! हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अनर्गल और अनावश्यक जानकारियां क्या परिणाम दे सकती हैं ? आज कल इस प्रकार के प्रयास हमारे कुछ अति उत्साही साथी इस तरह के कार्यों में कुछ ज़्यादा ही लिप्त हैं , उनकी यह लिप्तता उन्हें कितना लाभ पहुँचायेगी यह तो हमारे यही साथी बता पायेंगे।

हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह अंतिम सत्य स्वीकार कर लेना चाहिये कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक भारत सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 2003 को ज़ारी आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होगा, जब सरकार आपके कार्य से संतुष्ट हो जायेगी तो सरकार मान्यता का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देगी इसलिये हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को यह समझ लेना चाहिये कि जो लोग अनैतिक प्रयास कर रहे हैं वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित साधक नहीं हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चाहने वाले सिर्फ़ कार्य को ही प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करते हैं और कार्य करते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की राह आसान कर रहे हैं, जो लोग कार्य न करके सिर्फ़ अधिकारों की बात करते हैं उनको अपने कर्तव्यों का बोध अवश्य कर लेना चाहिये, जीवन में यदि सफ़लता पानी है तो अधूरा प्रयास कभी भी लाभकारी नहीं होता है इसलिये लघु मार्ग की मानसिकता छोड़कर सिर्फ़ पूर्ण सफ़लता का विचार करना चाहिये, जो लोग इस तरह का प्रयास करते हैं वे तर्क दिया करते हैं कि हमें लोगों की उदासी देखी नहीं जाती इसलिये हम प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिये कि जो लोग सिर्फ़ अपने गौरवशाली अतीत में जीते हैं वह लोग उदास रहते हैं, जो सिर्फ़ अच्छे भविष्य की कल्पना में जीते हैं इसलिये निराश रहते हैं और *जो वर्तमान में जीते हैं वे ही प्रसन्न रहते हैं।*

हमारा वर्तमान जैसा भी है अच्छा है इसी अच्छे वर्तमान में काम करते हुये यदि हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं तो परिणाम सुखद ही होते हैं इसलिये देश में जो हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथ कार्य कर रहा है वह प्रसन्न मन से प्राप्त अधिकारों का उपभोग करते हुये स्वर्णिम भविष्य की तरफ़ बढ़ रहा है सफ़लता निश्चित है शासन और सरकार दोनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सकारात्मक रुख अपनाये हुये हैं लेकिन यदि हम ही नहीं बदले तो सरकार क्या करेगी ? विज्ञान तो लगातार आगे बढ़ रहा है, नित्य नये–नये शोध हो रहे हैं यदि हमें प्रतिस्पर्धा में रहना है तो वास्तविक कार्य करना होगा, जो लघु मार्ग अपनाकर लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें सफ़लता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यदि धैर्य के के साथ कार्य करेंगे तो उन्हें सफ़लता अवश्य मिलेंगी।

स्तरीय शिक्षण व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यालयों को

समाज को उच्च स्तरीय इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक है कि उसी स्तर के चिकित्सक तैयार हों इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने 24 अप्रैल, 2017 को एक नया कोर्स जी0 ई0 एच0 एस0 लांच किया था और इस कोर्स के अनुरूप ही विद्यालयों की व्यवस्था में परिवर्तन भी किये गये थे।

आपको बताना उचित होगा कि वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है और उसपर तीव्र गति से कार्य भी चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विनियमितीकरण भी हो जायेगा और हम सब पूरी अपेक्षा कर सकते हैं कि विनियमितीकरण के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्सों के संचालन का अधिकार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पास ही रहेगा, इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नियमों और मानकों का पालन मात्र बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही कर रहा है इसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त पद्धतियों में संचालित पाठ्यक्रमों के समान अवधि वाले पाठ्यक्रमों का संचालन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0. द्वारा ही किया जा रहा है जी0 ई0 एच0 एस0 कोर्स का प्रारम्भ इसी कड़ी में हुआ है, हर विद्यालय के साथ ओ0पी0डी0 होनी आवश्यक है इसके निर्देश बोर्ड द्वारा सभी विद्यालयों को पहले ही निर्गत किये जा चुके हैं और सितम्बर माह में बोर्ड द्वारा विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा और जिन विद्यालयों ने अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक व्यवस्थायें दुरुस्त नहीं कीं उन्हें सुधरने का अवसर भी दिया जायेगा क्योंकि शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय आना सम्भव है इसी परिपेक्ष में विद्यालयों को भी अपने मानकों में सुधार करना होगा बोर्ड द्वारा सम्बद्ध संस्थानों एवं अध्ययन केन्द्रों में सत्र 2021–22 हेतु नियमित के साथ–साथ ऑनलाइन में प्रवेश प्रारम्भ हो चुके हैं कोर्स की गुणवत्ता को देखते हुए प्राप्त जानकारियों के अनुसार बोर्ड द्वारा संचालित कोर्सों में प्रवेशार्थियों द्वारा रुचि दिखायी जा रही है वर्तमान में यह जी0ई0एच0एस0 के साथ–साथ पी0जी0ई0एच0 एवं ए0सी0ई0 एच0 कोर्स बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध व मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में संचालित हो रहा है।

जी0ई0एच0एस0 कोर्स उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप ही बनाया गया है कुछ नये विषय जोड़े गये हैं 4 वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के बाद 5 वें वर्ष में क्रियात्मक अध्ययन है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इस बारे में प्रयासशील है कि यह क्रियात्मक अध्ययन किसी ज़िला स्तरीय चिकित्सालय या फिर पी0 एच0 सी0 या सी0 एच0 सी में पूर्ण कराया जाये, यह योजना है, यदि सरकार द्वारा कोई अन्य दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं तो उनके अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

चालू सत्र में बोर्ड द्वारा अपने सभी विद्यालयों व स्टडी सेन्टरों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शिक्षण व्यवस्था में किसी तरह की शिथिलता न बरती जाये तथा योग्य से योग्यतम विषय विशेषज्ञों द्वारा विषयों का पाठन करवाया जाये, कारण आने वाले समय में जब चिकित्सकों के मध्य व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा होगी तो योग्यता ही काम आयेगी, बदले हुए परिवेश में यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को टिकना है तो उन्हें खुद को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित करना होगा, मात्र अधिकार मिलने से ही काम नहीं चलता है अधिकारों का सही लाभ वही उठा पाता है जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक होता है, एक अच्छे चिकित्सक के निर्माण के लिए विद्यालय ही प्राथमिक इकाई होती है जहां से चिकित्सक तैयार होते हैं इसलिए यह विद्यालयों का दायित्व है कि वह अच्छे से अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से छात्रों को विषय का ज्ञान दें जिससे कि भविष्य में यह छात्र योग्य चिकित्सक बन कर समाज की सेवा कर सके।

शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ चिकित्सकीय ज्ञान का होना अति आवश्यक है अस्तु बोर्ड इस बात पर विशेष बल दे रहा है कि तीसरे वर्ष से ही छात्र को विद्यालय द्वारा संचालित डिस्पेंसरी/ चिकित्सालय में नियमित रूप से पोस्टिंग की जाये जहां से उसे नैदानिक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके यही ज्ञान आगे चलकर उसे एक सफल चिकित्सक के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण मिलने के बाद भी समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो पहले से प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके सामानतर खड़ा होने के लिए उनसे बेहतर प्रदर्शन करना होगा यदि बेहतर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनके स्तर का प्रदर्शन तो करना ही होगा, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे चिकित्सक अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं कार्य तो अभी भी बहुत और अच्छा हो रहा है परन्तु पूर्ण शासकीय संरक्षण के अभाव में हमारे चिकित्सक अपनी योग्यता का शत प्रतिशत नहीं दे पा रहे हैं परिणामतः अच्छे से अच्छे परिणामों का भी सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

आश्चर्यजनक किन्तु सत्य

21 जून, 2011 व
4 जनवरी, 2012
के आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को
चिकित्सा, शिक्षा, अनुसन्धान
एवं विकास की अनुमति देते हैं

समस्त देशवासियों
को 74 वें
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनायें

डा0 अतीक अहमद
रजिस्ट्रार–B.E.H.M.(U.P.)

डा0 एम0 एच0 इदरीसी
चेयरमैन–B.E.H.M.(U.P.)
एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष–इहमाइ

इहमाई ने बढ़ाया अपना दायित्व

वर्तमान परिस्थितियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो गति है उसमें तीव्रता लाने के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया अपने दायित्वों को और गति प्रदान करे और चतुर्दिक दृष्टि रखते हुये कड़े निर्णय ले, चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में जो तत्व बाधक हैं उनसे कड़ाई से निपटना होगा पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा ही बदले दे रहे हैं, जो कार्य सकारात्कमता से सम्भव किये जा सकते हैं उन्हें कठिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि मज़बूत, प्रभावी और कड़े निर्णय लिये जायें यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 मोहम्मद हाशिम इदरीसी ने 25 जुलाई को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के 43 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये, डा0 इदरीसी ने बताया कि इस समय पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की निगरानी का दायित्व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के कंधों पर है, 21 जून, 2011 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के तिवेदन पर निर्णय लेते हुये एक आदेश जारी किया है जिसके आधार पर पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा, चिकित्सा व अनुसंधान का कार्य अधिकार पूर्वक किया जा सकता है और इस आदेश का अनुपालन सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को भी करने का निर्देश है इस तरह से पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ही एकमात्र ऐसी नीति नियामक संस्था है जो पूरे देश में संचालित हो रही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं के क्रिया कलापों की निगरानी करती है, कार्यक्रम का प्रारम्भ मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण से हुए अतिथियों के स्वागत के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के महामंत्री श्री अतीक अहमद ने बताया कि आज से 43 वर्ष पूर्व 25 जुलाई, 1978 को कानपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया का गठन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस संगठन के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों, छात्रों, औषधि निर्माताओं, विद्यालयों की समस्याओं के निवारण के लिये कार्य किया जायेगे साथ–साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को शासकीय संरक्षण दिलाने के लिये यह संगठन कार्य करेगा। स्थापना से ही तमाम उतार चढ़ाव आये परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया अडिग रहते हुये अपने उद्देश्यों से कभी नहीं भटका उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में एकमात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ही एक ऐसा संगठन है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है 21 जून, 2011 का आदेश आ जाने के बाद संगठन का दायित्व है कि और अधिक अधिकारिता के साथ कार्य करें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के महासचिव ने कहा कि मज़बूत संगठन कठिन से कठिन कार्य को भी सुगमता से निपटा लेता है हमें इस बात का आत्म गौरव है कि हमारा संगठन निरन्तर आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की हर समस्या का समाधान भी ढूंढ लेता है लेकिन हमारे चिकित्सक अभी भी अपने दायित्वों को नहीं समझ रहे हैं, यह उदासी ठीक नहीं है हर चिकित्सक को अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करते हुये कार्य करना चाहिये, भविष्य ठीक–ठाक है परन्तु वर्तमान में कार्य संस्कृति पनपाने के लिये सभी को मिल–जुल कर कार्य करना चाहिए, संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के संयुक्त सचिव डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि पूरे देश से लोग तरह–तरह की जानकारी लेते रहते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराते रहते हैं और हम भी बिना किसी भेद–भाव के हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिये सदैव तत्पर रहते हैं इस कोरोना काल में ज़रूरतमन्दों को सहयोग कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने जो मिसाल कायम की है वह प्रशंसनीय है।

डा0 मिश्रा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों से आवाहन किया कि वह अपने जनपद में जनपदीय पंजीयन कराकर ही चिकित्सा व्यवसाय करें बिना जनपदीय पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय करना उचित नही है साथ ही यह भी कहा कि आप लोग संगठन को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक कार्य करें संगठन उत्तरोत्तर विकास की तरफ़ बढ़ रहा है, इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है हमें विश्वास है कि हम सफ़लता की वह सीढ़ी अवश्य चढ़ेंगे जिसकी हम सबकी इच्छा है।

इस कार्यक्रम में सर्वश्री मो0 नसीम, मो0 जफर इदरीसी, शाहीना इदरीसी, स्वालेहा इदरीसी एवं मारिया इदरीसी आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

प्रदेश के अनेक जनपदो से भी स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है इसमें से महाराजगंज में स्थित डी0एल0एम मेडिकल स्टडी सेन्टर आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने प्रमुख रूप कार्यक्रम के साथ साथ संचारी रोग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जिसमें स्टडी सेन्टर के शिक्षार्थियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

इहमाई के स्थापना दिवस के अवसर पर नौतनवां, महाराजगंज में डी0एल0एम0 द्वारा आयोजित संचारी रोग जागरुकता शिविर

इहमाई के स्थापना दिवस के अवसर पर रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद

इहमाई के स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त सचिव डा0 मिश्रा एम0के0

महात्मा मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण कर कार्यक्रम का उदघाटन करते हुये इहमाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी

देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का विकास राज्यों में समुचित विकास से ही सम्भव इसके लिये

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

द्वारा जारी आदेश संख्या

C.30011/22/2010-HR Dated 21-06-2011

के साथ आदेश संख्या

R. 14015/25/96-U&H (R)(Pt) Dated 25-11-2003

V.25011/276/2009-HR Dated 05-05-2010

से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया

द्वारा सर्व हित में जारी